

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ  
2, जलपथ, गाँधी नगर, जयपुर

क्रमांक: प.11(2)( )/मां./वी.सी./आईसीडीएस/2013 175829 - जयपुर, दिनांक: 11/10/18  
176165

1. उप निदेशक,  
महिला एवं बाल विकास विभाग,  
समस्त।
2. बाल विकास परियोजना अधिकारी,  
समेकित बाल विकास सेवाएँ,  
समस्त।

विषय:— प्रतिमाह बुधवार को मध्याह्न 2.30 से 4.30 बजे तक आयोजित होने वाली विडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्थगित करने के संबंध में।

संदर्भ:— निदेशालय का पत्रांक 174121-153 दिनांक 27.09.2018।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निदेशालय स्तर से निदेशक महोदय द्वारा प्रतिमाह बुधवार को मध्याह्न 2.30 से 4.30 बजे तक आयोजित होने वाली विडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपरिहार्य कारणों से बुधवार को न होकर इस माह इसके स्थान पर दिनांक 09.10.2018 को मध्याह्न 2.00 से 4.00 बजे तक विडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की जायेगी।

अतः उक्त दिनांक को निर्धारित समय पर सूचना सहित मय स्टॉफ जिला मुख्यालय स्थित DOA के विडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में एवं समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी व परियोजना में पदस्थापित पर्यवेक्षकों सहित पंचायत समिति स्थित जन सुनवाई केन्द्र (JSK) के विडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।



निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: प.11(2)( )/मां./वी.सी./आईसीडीएस/2013 175829 - 213 जयपुर, दिनांक: 11/10/18

प्रतिलिपि:— निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. समस्त जिला कलेक्टर को सूचनार्थ प्रेषित है।
4. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ जयपुर।
5. समस्त संबंधित अधिकारीगण मुख्यालय।
6. ए.सी.पी. मुख्यालय का विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
7. रक्षित पत्रावली।



अति. निदेशक (आई.)  
समेकित बाल विकास, सेवाएँ